पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

NAAC ACCREDITED "A"

क्रमांकः 6087/अका./का.प./2018 रायपुर, दिनांक : 28/03/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की अड़तीसवीं* बैठक बुधवार, दिनांक 28.03.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः

प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष

1.	डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	–	सदस्य	8.	डॉ. चन्द्रशेखर चौबे	–	सदस्य
2.	डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा	–	सदस्य	9.	डॉ. नरेन्द्र पटनायक	–	सदस्य
3.	डॉ. बशीर हसन	–	सदस्य	10.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
4.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य	11.	बी.एल. तिवारी	–	सदस्य
5.	डॉ. के.एल. वर्मा	–	सदस्य	12.	श्री नरेशचन्द्र गुप्ता	–	सदस्य
6.	डॉ. एच.के. पाठक	–	सदस्य	13	डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	–	सदस्य
7.	डॉ. सोम कुमार चटर्जी	–	सदस्य	14	श्री सत्यनारायण शर्मा	–	सदस्य

डॉ. संदीप वनसूत्रे कुलसचिव – सचिव

मान. कार्यपरिषद् के सचिव, डॉ. संदीप वनसूत्रे ने सम्माननीय कार्यपरिषद् के सदस्यों को माननीय कुलाधिपति, श्री बलरामजीदास टंडन द्वारा प्रो. केशरी लाल वर्मा, विभागाध्यक्ष भाषा विज्ञान, पं.र.वि.वि. रायपुर एवं कार्यपरिषद् के सदस्य को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति नियुक्त किये जाने की सूचना देते हुए कार्यपरिषद् के अध्यक्ष, मान. कुलपति प्रो. एस.के. पाण्डेय से नवनियुक्त कुलपति के स्वागत के लिए अनुरोध किया एवं सभी सदस्यों ने मेज थप–थपाकर इस नियुक्ति के लिये बधाई दी।

कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 25.02.2018 एवं 09.03.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

   निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 एवं 09.03.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 25.02.2018 एवं 09.03.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

   निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 एवं 09.03.2018 की बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

<u>वित्त विभाग से संबंधित प्रस्तावः–</u>

3. वित्तीय सत्र 2016–17 का वास्तविक आय–व्यय, 2017–18 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं 2018–19 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक के अनुमोदन पर विचार करना।

   निर्णय : वित्तीय सत्र 2016–17 का वास्तविक आय–व्यय, 2017–18 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं 2018–19 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक का अनुमोदन किया गया।

प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

4. डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक का याचिका अपील क्रमांक 558/2017 पर मान. उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2017 के आधार पर प्रशासनिक प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **डॉ. बी.के. मेहता के प्रकरण पर, विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से अभिमत लेकर आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया एवं साथ ही कुलपति (जो कार्यपरिषद् के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं) का कार्यकाल समाप्त होने और यह नीतिगत निर्णय होने के कारण छ.ग. उच्च न्यायालय से, आगामी तिथि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया गया।**

5. विश्वविद्यालय के अधिवक्ताओं की सूची में श्री ऐश्वर्य सिन्हा, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के नाम शामिल किए जाने के संबंध में।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के अधिवक्ताओं की सूची में श्री ऐश्वर्य सिन्हा, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट एवं श्री अवधेश कुमार सिंह का नाम सम्मिलित किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

6. पुनर्मूल्यांकन में हुई अनियमितता की जाँच अधिकारी, श्री मोहन पवार, सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट, बंद लिफाफा को खोलना एवं उस पर विचार करना।

निर्णय : **श्री मोहन पवार जाँच अधिकारी एवं राज्य सूचना आयुक्त, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, रायपुर से पुनर्मूल्यांकन के प्रकरण पर प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रो. व्यास नारायण दुबे (निलंबित) के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण श्री व्यास नारायण दुबे का निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया एवं प्रो. व्यास नारायण दुबे के द्वारा लिये गये अग्रिम का विश्वविद्यालय के नियमानुसार अविलंब समायोजन करने हेतु निर्देशित किया गया।**

यांत्रीकी विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

7. बायोसाइंस अ.शा. में सेपरेट ट्रांसफार्मर लगाने के लिए छ.ग.रा.वि.वि. कम्पनी मर्यादित डी.डी. नगर जोन, रायपुर को राशि रु. 6,07,778 (शब्दों में छः लाख सात हजार सात सौ अठहत्तर रुपये मात्र) के भुगतान का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **बायोसाइंस अ.शा. में सेपरेट ट्रांसफार्मर लगाने के लिए छ.ग.रा.वि.वि. कम्पनी मर्यादित डी.डी. नगर जोन, रायपुर को राशि रु. 6,07,778 (शब्दों में छः लाख सात हजार सात सौ अठहत्तर रुपये मात्र) के भुगतान का अनुमोदन का अनुमोदन किया गया।**

8. बेसिक साइंस सेन्टर में नये 3 फेस स्थायी विद्युत कनेक्शन का डिमांड नोट में देयक राशि रु. 14,29,209=00 (चौदह लाख उन्तीस हजार दो सौ नौ रुपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति एवं अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : बेसिक साइंस सेन्टर में नये 3 फेस स्थायी विद्युत कनेक्शन का डिमांड नोट में देयक राशि रु. 14,29,209=00 (चौदह लाख उन्तीस हजार दो सौ नौ रुपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति कर अनुमोदन किया गया।

9. पावरग्रिड Boys hostel में नये 3 फेस स्थायी विद्युत कनेक्शन का डिमांड नोट में देयक राशि रु. 15,54,647=00 (पन्द्रह लाख चउवन हजार छः सौ सैंतालीस रुपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति एवं अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : पावरग्रिड Boys hostel में नये 3 फेस स्थायी विद्युत कनेक्शन का डिमांड नोट में देयक राशि रु. 15,54,647=00 (पन्द्रह लाख चउवन हजार छः सौ सैंतालीस रुपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति कर अनुमोदन किया गया।

<u>विकास विभाग से प्राप्त प्रस्तावः–</u>

मूल विज्ञान केन्द्र –

10. मूल विज्ञान केंद्र हेतु Chemicals/Plasticwares/Glasswares/Euipments/Instruments क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. 20,17,925=00 (बीस लाख सत्रह हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष की समाप्ती के कारण आगामी कार्यपरिषद् में पुनः प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।

11. CBS के फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री रु. 22,64,491=00 (बाइस लाख चौंसठ हजार चार सौ इंक्यानबे रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष की समाप्ती के कारण आगामी कार्यपरिषद् में पुनः प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।

12. CBS के लिये फर्निचर हेतु रु. 12,54,458=00 (बारह लाख चौवन हजार चार सौ अंट्ठावन रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष की समाप्ती के कारण आगामी कार्यपरिषद् में पुनः प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।

फार्मेसी संस्थान –

13. फार्मेसी संस्थान के प्रथम तल पर नवनिर्मित लैब एवं इंस्ट्रूमेंट लैब को मॉड्यूलर वर्क टॉप्स बनाये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. राशि 8.00 लाख के व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष की समाप्ती के कारण आगामी कार्यपरिषद् में पुनः प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।

भौतिकी अध्ययनशाला –

14. DST Fist प्रोग्राम के अंतर्गत स्वीकृत राशि से भौतिकी अ.शा. के लिये कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, यू.पी.एस., प्रोजेक्टर आदि सामग्री क्रय किये जाने हेतु अनुमानित व्यय रु. 7,86,948=00 के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष की समाप्ती के कारण आगामी कार्यपरिषद् में पुनः प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।

<u>अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्तावः–</u>

15. पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. तथा स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई में संचालित पाठ्यक्रम से संबंधित स्वर्ण पदक को स्थानांतरित किए जाने के संबंध में अनुमति।

निर्णय : पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. तथा स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई में संचालित पाठ्यक्रम से संबंधित स्वर्ण पदक को स्थानांतरित किए जाने का अनुमोदन किया गया।

16. निम्नांकित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य पद पर नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।

(i) गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी
(ii) रामचण्डी महाविद्यालय, सरायपाली, जिला–महासमुंद
(iii) कला महाविद्यालय, जी–जामगांव, जिला–धमतरी
(iv) रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सांई दरबार रोड, महादेवघाट, रायपुर

निर्णय : प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नानुसार महाविद्यालयों के नाम के समक्ष उल्लेखित व्यक्तियों के नाम का अनुमोदन किया गया :

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	चयनित व्यक्ति का नाम
(i)	**गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी**	**डॉ. होबलाल साहू**
(ii)	**रामचण्डी महाविद्यालय, सरायपाली, जिला–महासमुंद**	**डॉ. लिंगराज पात्रो**
(iii)	**कला महाविद्यालय, जी–जामगांव, जिला–धमतरी**	**डॉ. किरण श्रीवास्तव**
(iv)	**रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सांई दरबार रोड, महादेवघाट, रायपुर**	**डॉ. प्रभु दयाल शर्मा**

पूरक विषयसूची

1. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

2. छ.ग. संवाद को वार्षिक एवं पूरक परीक्षा के लिये उत्तर पुस्तिका के मुद्रण के देयक राशि रु. 84,72,824.00 भुगतान की स्वीकृती प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छ.ग. संवाद को वार्षिक एवं पूरक परीक्षा के लिये उत्तर पुस्तिका के मुद्रण के देयक राशि रु. 84,72,824.00 भुगतान की स्वीकृती प्रदान की गई।

3. कार्यपरिषद् सदस्य श्री नरेशचन्द्र गुप्ता से ई–मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र दिनांक 23 मार्च, 2018 में संलग्न पत्र दिनांक 26.09.2017 एवं 17.11.2017 अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : कार्यपरिषद् सदस्य श्री नरेशचन्द्र गुप्ता से ई–मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र दिनांक 23 मार्च, 2018 में संलग्न पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुरूप 7वां वेतनमान एवं यू.जी.सी. 7वां वेतनमान लागू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन को पत्र लिखने के लिए अनुमति के संबंध में।

निर्णय : छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुरूप 7वां वेतनमान एवं यू.जी.सी. 7वां वेतनमान लागू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन को पत्र लिखने के लिए अनुमति प्रदान की गई।

5. Result processing work 2017-18 एवं Pre. & Post Exam. work 2018-19 कार्यों की स्वीकृति के संबंध में।

निर्णय : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 के बिंदु क्र. 5 के निर्णय के अनुपालन में तकनीकी समिति द्वारा जारी की गई निविदा का DPC एवं CPC के अनुशंसानुसार Pre. & Post Exam. work के लिये National Co-oporative consumers Federation of India Ltd. Kanke Road, Ranchi, Jharkhand को सत्र 2017–18 के Post Exam. work एवं सत्र 2018–19 के लिये Pre. & Post Exam. work के लिये प्राप्त दर का अनुमोदन करते हुए कार्यादेश जारी करने की अनुशंसा की गई।

6. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, भिलाई एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य हुए MOU की गई की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, भिलाई एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य हुए MOU की गई की सूचना ग्रहण की गई।

7. डॉ. केशरी लाल वर्मा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भाषा विज्ञान अध्ययनशाला को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति नियुक्त किये जाने के कारण प्रोफसेर पद पर धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में।

निर्णय : डॉ. केशरी लाल वर्मा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भाषा विज्ञान अध्ययनशाला को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति नियुक्त किये जाने के कारण प्रोफसेर पद पर, छ.ग. शासन के नियमानुसार धारणाधीकार स्वीकृत किया गया।

8. श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम–पचेड़ा, पो.–कुरूं, तह.–अभनपुर, जिला–रायपुर में परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य पद पर नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।

निर्णय : श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम–पचेड़ा, पो.–कुरूं, तह. –अभनपुर, जिला–रायपुर में परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा अनुशंसित Dr. Preeti Gurnani का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांकः 6088 /अका./का.प./**2018** रायपुर, दिनांक : 28/**03/2018**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

D:\back\shital\MEETINGS\karya-parishad\MINUTS\03_Minutes EC 28-03-2018.docx